भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1858
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार

1858. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबा जिले में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत प्रदान किए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) को बाद में जिला प्राधिकारियों द्वारा 2018 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच रद्द कर दिया गया या वापस ले लिया गया था और यदि हाँ, तो ऐसे कितने लोगों के अधिकार रद्द किए गए या वापस लिए गए;
(ख) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वन विभाग को एफआरए और पेसा अधिनियमों के अंतर्गत निहित सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन शक्तियों का उल्लंघन करने से रोका जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने घाटबर्रा (हसदेव) जैसे गाँवों में सीएफआर अधिकारों के कथित अवैध निरस्तीकरण, जो कथित तौर पर कोयला खनन के विस्तार हेतु किया गया था, के संबंध में कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार इन संवैधानिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) : अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, एफआरए) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं और ये 20 राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) और 1 संघ राज्यक्षेत्र में लागू किए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कोरबा में एफआरए लागू करने की स्थिति यह है कि कुल 1,10,290 दावे (व्यक्तिगत- 1,07,890 और सामुदायिक- 2,400) प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 58,773 (53.28%) (व्यक्तिगत-

57,141 और सामुदायिक- 1,632) अधिकार पत्र बांटे गए थे। कुल 50,749 (46.01%) दावे खारिज कर दिए गए हैं, और 768 दावे लंबित हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत राज्य सरकारों को समुदाय के नेतृत्व वाली वन प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने सहित ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

एफआरए की धारा 6 (6) के तहत जैसा कि बताया गया है, *"वन अधिकारों के रिकॉर्ड पर जिला स्तरीय समिति का फैसला अंतिम और बाध्य होगा"*। इसके अलावा, कोरबा जिले में एफआरए के तहत दिए गए किसी भी अधिकार को रद्द करने या वापस लेने और घाटबर्रा (हसदेव) जैसे गांवों में सीएफआर अधिकारों को रद्द करने के बारे में इस मंत्रालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों, क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों (प्राधिकरणों) से नियमित रूप से आग्रह किया जाता है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों और अन्य सुरक्षा उपायों को उनके सही रूप और भावना के साथ (अक्षरश:) बनाए रखें।

*****